



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: ०६—उ०प्र०(२अ) / पा०का०लि० / २०१५

दिनांक: ३१, जनवरी, २०१५

## कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतदद्वारा निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ताओं (वै० एवं यां०) को मुख्य अभियन्ता, स्तर-२ (वै० एवं यां०) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-३ में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न मुख्य अभियन्ता, स्तर-२ (वै० एवं यां०) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-०४ के अनुसार निगम को आबण्टित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/अभियन्ता संख्या/गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति का दिनांक (सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	मुख्य अभियन्ता, स्तर-२ (वै०एवं यां०) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात आबण्टित निगम
1	2	3	4
1.	श्री सुधीर कुमार वर्मा (81139), (पि०जा०) बरस्ती 30.09.2017	अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (वितरण), लेसा लखनऊ।	मध्यान्धल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
2.	श्री अनूप चन्द्र श्रीवास्तव (81141) इलाहाबाद, 30.04.2017	अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ वितरण क्षेत्र, मेरठ।	मध्यान्धल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ।

2— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या ७९/१९९७ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक २१-३-२००७ में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3— आवंटित अधिकारी की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

4— उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-५९१०-गोपन/पाकालि(०६)-२००१ दिनांक ११-६-२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

6— उपरोक्त आदेश दिनांक ०१.०२.२०१५ अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

7— उपरोक्त अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि निदेशक पद पर चयनित अधिकारियों की किसी कारणवश प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उन्हें उनके मूल संवर्ग में अपने ज्येष्ठताक्रम में स्थापित किया जायेगा जिसके फलस्वरूप कनिष्ठतम प्रोन्नत अधिकारी मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: ०६-आप्र०(२अ)/पा०का०लि०/२०१५ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
- २- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ३- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निजी सचिव।
- ४- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्ध्र /मध्यान्ध्र/पूर्वान्ध्र/पश्चिमान्ध्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- ५- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-१)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-२)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रान्समिशन का०लि०।
- ६- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ७- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- ८- अनु सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ९- सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,

  
(सुवर्ण कुमार शर्मा)  
उप सचिव